राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ.1(23)ग्रावि/नरेगा/ मेट /2019 जयपुर, दिनांक 17 AUG 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट की जवाबदेही सम्बन्धित निर्देश।
संदर्भ :– मेट की जवाबदेही हेतु विभागीय पत्र दिनांक 15.06.2009 एवं 30.05.2014

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत के विभिन्न गांवों में अनेक कार्य संचालित रहते हैं। इसमें यद्यपि यह समस्त कार्य कार्यकारी संस्था (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी) के अधीन संचालित होते हैं, परंतु प्रत्येक कार्य पर मजदूरों की उपस्थिति का अंकन, ग्रुपवार कार्य का आवंटन, कार्य का मापन, कार्य का सुचारू क्रियान्वयन एवं कार्यस्थल की सुविधाओं हेतु मेट को उत्तरदायी बनाया गया है।

विभागीय निरीक्षणों एवं आमजन/जनप्रतिनिधियों से अनेक कार्यों पर मजदूरों की उपस्थिति में अनियमितता की गंभीर शिकायतें प्राप्त होती हैं। किसी कार्य पर किसी श्रमिक के अनुपस्थित रहने पर भी उसे उपस्थित दिखाया जाना मेट की गंभीर अनियमितता है। इस प्रकार की विसंगतियों व अनियमितताओं को रोकने के लिए निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. भारत सरकार द्वारा श्रमिक नियोजन में अनियमितता को नियंत्रित किये जाने हेतु **नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप** (NMMS App) विकसित किया गया है और मेट के द्वारा इसका उपयोग आवश्यक किया गया है। ग्राम पंचायत के समस्त कनिष्ठ सहायकों और बेयरफुट टेक्नीशियन का यह दायित्व होगा कि वह समस्त मेटों के मोबाइल फोन में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप डाउनलोड करायें और उनका प्रयोग सुनिश्चित करवाएं। मेट को इस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप के लिए प्रशिक्षित करते हुए उन्हें इस पर उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए। जो भी मेट इस ऐप का प्रयोग नहीं करते उन्हें मेट के दायित्व से मुक्त किया जाए।

2. किसी कार्य पर मस्टररोल में उपस्थित दर्शाये गये श्रमिक यदि निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं पाये जाते हैं तो इस प्रकार की अनियमितता पर सम्बन्धित मेट की जवाबदेही निर्धारित कर सम्बन्धित मेट को ब्लैक लिस्टेड किये जाने की कार्यवाही कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की जावेगी। अनुपस्थित पाये गये श्रमिकों के मस्टररोल में अनुपस्थिति दर्ज की जावेगी एवं उक्त दिनांक का भुगतान भी नहीं किया जावेगा। अनुपस्थिति की पुष्टि के लिए समस्त कार्यरत श्रमिकों की एक साथ टाइम स्टैम्प कैमरा से या एरिया ऑफिसर ऐप से फोटो भी ली जाए।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4 अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5 अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।
6 प्रोग्रामर, ईजीएस को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक–एफ–4(16)ग्रावि / ग्रारो / NREGS/06 जयपुर, दिनांक : 15 JUN 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत मेट के नियोजन बाबत संशोधित निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि नियोजित परिवारों को पूरी मजदूरी मिले।

राज्य सरकार द्वारा कराये गये अध्ययन से यह स्पष्ट स्थिति सामने आई है कि श्रमिकों के लिये जो टास्क निर्धारित किया गया है, वह उचित है एवं जहां कहीं भी श्रमिकों को सही पर्यवेक्षण दिया गया है वहां उनको पूर्ण मंजदूरी प्राप्त हुई है। कार्य स्थल पर उचित पर्यवेक्षण के अभाव में अनियमितताएं होने की भी अधिक सम्भावनाऐं रहती हैं। अतः निर्माण कार्यस्थल पर सही पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। कार्यस्थल पर पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये 'मेट' को लगाया जाना है।

निर्माण कार्यों के संचालन में मेट की महत्वपर्णू भूमिका है। अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवारों के प्रपत्र–6 में कार्य की मांग करने वाले सदस्यों को व्यवस्थित रूप से कार्य पर लगाने के लिए मस्टररोल का संधारण, 5–5 श्रमिकों का समूह बनाना, 5 श्रमिकों के समूह को निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य का आवंटन तथा उनके द्वारा किये गए दैनिक कार्य का माप कर उन्हें सूचित करने का उत्तरदायित्व मेट का ही है। मेट द्वारा कार्य निष्पादन हेतु प्रयुक्त सामग्री का रिकार्ड रखना भी है। इसी प्रकार कार्यस्थल पर बोर्ड, छायां, पानी, झूले, आया, दवाई आदि की व्यवस्था सुनश्चित करना भी है।

इस लिए पूर्व में जारी समस्त आदेशों / निर्देशों के अतिक्रमण में नरेगा के अन्तर्गत मेट हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. **मेट का चयन**:–

मेट का चयन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। इस प्रयोजन हेतु एक विज्ञापन जिला स्तर से जारी किया जाकर मेट का पैनल बनाने हेतु ग्राम पंचायतवार प्रार्थना–पत्र कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किये जावेंगे। विज्ञापन में योग्यता व प्राथमिकता का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। पूर्व में नियोजित व प्रशिक्षित मेटों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रही है। प्राप्त आवेदन पत्रों का ग्राम पंचायतवार छटनी कर ग्राम पंचायतवार मेरिट के आधार पर वरियता अनुसार मेटों का पैनल तैयार किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 मेट का पैनल तैयार किया जावे। यदि ग्राम पंचायत की आबादी अधिक है तथा 1 से अधिक गांव हे तो जारी जॉब कार्ड व परिवारों की संश्या को दृष्टिगत रखते हुए 10 से अधिक मेटों का भी पैनल रखा जा सकता है।

प्राप्त आवेदन पत्रों में से अंतिम पैनल प्रधान पंचायत समिति की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें विकास अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे, द्वारा किया जावेगा। यथासम्भव मेट उसी गांव का हो, यह ध्यान में रखा जावे।

2. योग्यता :–

मेट की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी –

1. पुरूष मेट न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. महिला मेट भी सामान्यतया दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण महिला नहीं मिलने की दशा में आठवीं पास प्रार्थियों को लिया जावें। यदि आठवीं पास भी नहीं मिले तो ऐसी परिस्थिति में पांचवी पास को भी लिया जा सकता है।
3. गांव में उपर्युक्त संख्या में अभ्यार्थी नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत के अभ्यर्थी को पैनल में रखा जा सकेगा।
4. उसी परिवार का सदस्य हो जो नरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

3. प्राथमिकता

मेट के चयन में निम्न प्राथमिकता होगी :–

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों के सदस्य।
2. विधवा, परित्यक्ता अथवा एकल महिला, विकलांग।
3. अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्य।
4. पिछडा वर्ग के सदस्य।
5. सामान्य वर्ग।

उक्त सभी श्रेणियों में उपलब्धता के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जावें। यदि इस श्रेणी में महिला उपलब्ध नहीं हो तो अन्य श्रेणी से रखकर 50 प्रतिशत कोटा पूर्ण किया जावे।

4. मेट का नियोजन

4.1 कार्यों की निगरानी के लिये निम्न परिमाप के अनुसार मेट का नियोजन किया जावेगा।

क्र.सं.	श्रमिक संख्या	मेट संख्या
(i)	10 से 40	एक
(ii)	40 से अधिक	प्रति 10 से 40 पर एक अतिरिक्त

4.2 प्रत्येक कार्य पर ग्राम पंचायतवार तैयार किये गये पैनल में से ही मेट का नियोजन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मस्टररोल जारी करते समय ही किया जावेगा। नियोजित मेट के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने या कार्य असंतोषजनक होने के कारण कार्यक्रम अधिकारी बिना किसी नोटिस के मेट को हटा सकेंगें।

4.3 दस से कम श्रमिक होने की स्थिति में मेट अलग से नियुक्त नहीं किया जावेगा। ऐसे कार्यों की निगरानी का कार्य कार्यकारी संस्था द्वारा ही किया जावेगा।

5. प्रशिक्षण

चयनित मेटों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व कार्यक्रम अधिकारी का होगा। वे सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी अप्रशिक्षित मेट का नियोजन नहीं हो।

6. मेट के नियोजन की शर्ते

6.1 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मेट के नियोजन के समय यह ध्यान में रखा जावेगा कि मेट का नियोजन रोटेशन से हो।

6.2 मेट द्वारा निर्धारित कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां निर्वहन नहीं करने की स्थिति में मेट को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस दिए हटाया जा सकेगा व इस स्थिति में उसका नाम पैनल से स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

6.3 मेट को भुगतान अर्द्धकुशल श्रमिक दर अनुसार किया जावेगा। परन्तु भुगतान कार्य पर नियोजित अकुशल श्रमिकों के औसत भुगतान के अनुसार ही किया जावेगा। इस व्यवस्था से मेट का दायित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वह श्रमिकों को पर्याप्त पर्यवेक्षण दे जिससे कि उन्हें पूर्ण मजदूरी मिल सके।

6.4 मस्टर रोल में फर्जी नाम दर्ज करने या फर्जी हाजिरी लगाने जैसे दोष पाए जाने पर उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

6.5 मेट के नियोजन में अब 100 दिवस की सीमा नहीं रही है। क्योंकि मेट को अब अर्द्धकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार उसे अब मानदेय रू. 107/– प्रतिदिवस की दर से देय होगा। मेट के नियोजन में श्रम नियमों का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जावे।

7. <u>मेट के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां</u>

मेट की जिम्मेदारी कार्यस्थल प्रबन्धन, निगरानी और माप की होगी।

7.1 <u>मस्टर रोल</u>

7.1.1 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवंटित कार्य के लिए जारी की गई मस्टर रोल मय कार्य पर नियोजित किये जाने वाले श्रमिको की कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूची की प्रति (प्रपत्र–6 के अनुसार) कार्य/ पखवाडा आरम्भ होने से पूर्व ग्राम पंचायत में संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में इन्द्राज उपरांत मेट को उपलब्ध कराई जावेगी।

7.1.2 मेट मस्टररोल में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मस्टर रोल के साथ जारी सूची के अतिरिक्त किसी अन्य श्रमिक का नाम दर्ज नहीं करेगा। इसी प्रकार सूची में वर्णित श्रमिक के उपस्थित न होने पर उसका नाम भी मस्टर रोल के अन्त में दर्ज करेगा एवं उसकी अनुपस्थिति अंकित करेगा।

7.1.3 मस्टर रोल जारी होने के बाद कार्य पर श्रमिकों का नियोजन 5–5 के ग्रुप में किया जावे। प्रत्येक मजदूर को टॉस्क आवंटित की जाये तथा मजदूर को बताया जाये कि उसे आज कितना काम करना है एवं सायंकाल उसने कितना काम किया ये बतावें। प्रत्येक मजदूर की उपस्थिति पूर्व की भांति 1/1 तथ अनुपस्थिति 0/0 में न लेकर प्रत्येक कार्यदिवस के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, ... के रूप में ली जावे, जिस दिन मजदूर अनुपस्थित है, उस दिन अनुपस्थिति के लिए **A** अंकित किया जावे। नरेगा योजना में आधी हाजिरी का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आधे दिन किसी भी मजदूर को नियोजित नहीं किया जावे।

7.1.4 किसी के एवज में किसी भी मजदूर को नहीं लगाया जावे।

7.1.5 मेट सूची में वर्णित श्रमिकों के उनकी आपसी सहमति के आधार पर 5–5 के समूह बनाकर समूहवार उनके नाम मस्टर रोल में अंकित करेगा। जहां तक संभव हो यह समूह मजदूरों के स्वयं की इच्छानुसार बने, जो आपसी सहयोग व सामंजस्य से कार्य कर सके।

7.1.6 प्रत्येक समूह को एक क्रम संख्या दी जाये एवं एक लाईन से समूह को चिन्हित करें ।

7.1.7 अकुशल श्रमिक, जो कार्य कर रहे हैं, के नामों के बाद लाईन खींचेगा, फिर मेट पानी पिलाने वाले व्यक्ति व बच्चों की देखभाल हेतु महिला (जिनको टास्क में शामिल नहीं किया जाएगा) का नाम जारी मस्टर रोलों में से अन्तिम मस्टररोल पर अंकित करेगा।

7.1.8 काम शुरू होने के एक घण्टे के अन्दर–अन्दर श्रमिकों की हाजरी भरी जानी होगी, जहां मेट सारे मजदूरों के नाम पढ़कर सुनायेंगे, हाजरी मस्टररोल में ही ली जायेगी। मजदूर सहित यदि कोई भी व्यक्ति मस्टररोल देखना चाहे तो उसे दिखाया जाएगा।

7.1.9 मेट, जिस मजदूर की जॉब कार्ड पर फोटो नहीं लगी है उसे कार्य पर नियोजित नहीं करेगा। बिना फोटोयुक्त जॉब कार्ड के किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।

7.1.10 मेट यह सुनिश्चित करेगा कि मजदूर सुनियोजित ढंग से व पूरे 9 घण्टे कार्य कर अपना टास्क पूरा कर पूर्ण मजदूरी अर्जित करे। यदि कोई मजदूर समूह अपना निर्धारित टास्क कम समय में पूरा कर लेता है, तो वह समूह कार्यस्थल से जा सकता है, परन्तु इसका इन्द्राज मेट मस्टररोल में करेगा।

7.2 कार्य का माप

7.2.1 मेट द्वारा कार्यस्थल पर टास्क बोर्ड लगाया जावेगा तथा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले टास्क की जानकारी देगा। मेट द्वारा कार्य आरम्भ करते समय समूह द्वारा उस दिन उस समूह द्वारा किये जाने वाले टास्क के अनुसार मौके पर माप कर सीमांकन करेगा तथा समूह द्वारा टास्क पूरा करने पर उसका माप कर उसे मेट माप प्रपत्र में दर्ज करेगा। खुदाई से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिये निर्धारित किये गये टास्क का विवरण **परिशिष्ट– 5** पर संलग्न है।

7.2.2 मजदूरों के समूह को रोजाना काम माप के देना (आवंटन), तथा दिन के अन्त में उनके सामने माप के लेना मेट का प्रमुख कार्य है । उसी समय मेट भी अपने रोजाना माप प्रपत्र में मजदूरों के समूह के माप लिखेंगे और कार्य की मात्रा बताने के पश्चात समूह के लीडर (समूह का सर्वमान्य व्यक्ति, महिला को प्राथमिकता) के दस्तखत लेंगे। मेट माप प्रपत्र **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

7.2.3 यदि किसी समूह का टास्क कम आ रहा हो तो दूसरे दिन उसे कम हुए कार्य की भरपाई हेतु अतिरिक्त कार्य करने हेतु समूह को प्रोत्साहित करें ताकि मजदूरी में कटौती न हो पावे।

7.2.4 यदि किसी कार्य पर लगातार श्रमिकों को टास्क की कमी के कारण न्यूनतम देय होती है तो उस कार्य पर नियुक्त मेट की अक्षमता मानी जायेगी तथा उसे हटा दिया जायेगा।

7.3 कार्यस्थल पर व्यवस्था

7.3.1 कार्यस्थल पर निम्न व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका दायित्व कार्यकारी ऐजेन्सी का है, यदि यह व्यवस्थाएं कार्य स्थल पर नहीं है तो मेट कार्यकारी ऐजेन्सी को लिखित में सूचित करेगा :–

- कार्य स्थल बोर्ड
- पानी पीने की व्यवस्था
- छायां की व्यवस्था
- क्रेच की व्यवस्था (यदि 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे साथ में आए)
- मेडिकल किट (**परिशिष्ट–4** के अनुसार)
- सामग्री की उपलब्धता

7.3.2 कार्य पर नियोजित मजदूरों के साथ पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या यदि 5 से अधिक होने पर मेट एक ऐसी महिला को क्रेच की जिम्मेदारी देगा/देगी जो बच्चों को संभालने में सक्षम हो। इस कार्य पर यथा सम्भव वृद्ध/ विकलांग महिला को ही लगाया जावे।

7.3.3 इसी प्रकार पानी पिलाने के लिए एक श्रमिक लगाया जावेगा, जिसमें विकलांग/वृद्ध को प्राथमिकता दी जावे।

7.3.4 कार्य स्थल व्यवस्था में कोई कमी है तो मेट का दायित्व है कि वह सरपंच/ सचिव को समय पर सूचित करे, जिससे कि उसकी पूर्ति की जा सके।

7.3.5 पेड़ा (बल्ली–फन्टे) अथवा अन्य औजार जो निर्माण कार्य हेतु आवश्यक हों, की अग्रिम व्यवस्था हेतु रोजगार सहायक/ ग्राम सेवक/ सरपंच/कार्यकारी ऐजेन्सी को उसकी उपलब्धता हेतु अनुरोध करेगा एवं प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।

7.3.6 मेट, पानी पिलाने व्यक्ति एवं क्रेच संभालने वाली महिला को उस पखवाडे के अकुशल श्रमिकों को मिली औसत मजदूरी दर के अनुसार ही भुगतान होगा।

8. पक्के कार्यों के निर्माण पर प्रयोग में ली जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं प्रभावी रिपोर्ट संधारण हेतु मेट द्वारा एक प्रपत्र का संधारण किया जावेगा, जिसकी प्रति **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। जिसमें सीमेन्ट, बजरी, पत्थर, गिट्टी आदि का रिकार्ड रखा जावेगा। मेट की जिम्मेदारी होगी कि यदि कोई भी सामग्री कार्यस्थल पर आवे तो उसका इन्द्राज सामग्री प्रपत्र में किया जावे तथा इसी प्रकार सामग्री जो काम में ली जावे, मुख्य रूप से सीमेन्ट का प्रतिदिवस रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। यदि सीमेन्ट आने के उपरांत अमुख कट्टे वापस किसी दूसरे कार्यस्थल पर ले जाये जाते हैं तो उसका इन्द्राज सामग्री प्रपत्र में किया जाना है।

सामग्री प्राप्ति एवं उपयोग का प्रमाणीकरण मेट द्वारा उसके साथ–साथ कार्य पर नियोजित एक कारीगर एवं एक श्रमिक से भी करवाया जावे। कार्यस्थल पर निरीक्षण के लिये यदि कोई तकनीकी सहायक आता है तो उनके द्वारा भी उपलब्ध सामग्री का सत्यापन करवाया जाकर सामग्री प्रपत्र में उसकी प्रविष्टि की जानी है।

9. ग्राम पंचायत मेट को कार्य से जुडे तकमीने की एक प्रति उपलब्ध करायेगी। साथ ही संबंधित तकनीकी सहायक निर्माण कार्य से जुडे बिन्दु मुख्य रूप से मसाले में प्रयोग में लिये जाने वाले सीमेन्ट, बजरी के अनुपात की जानकारी भी उपलब्ध कराई जावे ताकि उसके अनुसार कार्य का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। मेट द्वारा हर पखवाडे में मस्टररोल के साथ–साथ प्राप्त उपयोग में ली गई सामग्री के विवरण की रिपोर्ट भी दिया जाना है।

10. मेट द्वारा निरीक्षण पंजिका (**परिशिष्ट–3**) रखी जावेगी। कोई भी निरीक्षणकर्ता कार्य निष्पादन बाबत अपनी टिप्पणी निरीक्षण पंजिका में दर्ज कर सकेगा। यदि निरीक्षण पंजिका में कोई कमी जो मौके पर पाई गई तो उसका निर्देशानुसार सुधार सुनिश्चित करेगा। यदि निरीक्षण पंजिका में ऐसी कोई टिप्पणी दर्ज है, जिसका निराकरण पंचायत समिति स्तर से अपेक्षित है तो ग्राम सेवक/ रोजगार सहायक उसके निदान हेतु कार्यक्रम अधिकारी को तुरंत सूचित कर उसका निराकरण सुनिश्चित करेगा।

11. मेट एक बैग रखेगा, जिसमे वर्तमान पखवाड़े के मस्टररोल, फीता, केलकुलेटर, मेडिकल किट, एक पत्रावली जिसमें कार्य की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रति, अनुमोदित तकमीना मय ड्राइंग की प्रति कार्य पर नियोजित श्रमिकों को किये गये भुगतान विवरण की प्रति, कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा किये गये मूल्यांकन की प्रति होगी, पेन, डायरी आदि हो।

12. मेट यह सुनिश्चित करे कि ले–आउट के लिये लाइम पाउडर, अलाइनमेन्ट एवं स्लोप के लिए रस्सी खूंटें तथा कुटाई के लिए दुरमुट/ काम्पेक्टर की व्यवस्था मौके पर हों।

13. मेट बने हुए ग्रुपों में से एक ग्रुप में एक व्यक्ति ड्रेसिंग के लिए, दूसरे ग्रुप में एक व्यक्ति कुटाई के लिये नियुक्त करें। यानि दोनों समूहों के 10 श्रमिकों में से 8 श्रमिक मिट्टी खोदकर डाले, एक ड्रेसिंग करें, एक कुटाई करें। इसी प्रकार कार्यों में दो श्रमिकों को तराई पर लगावें, तराई निरन्तर चलती रहनी चाहिये।

तराई, तराई का मतलब यह नहीं कि केवल एक–दो बार पानी छिड़क दिया जावे, दीवाल बनाने/ कंक्रीट डालने/ प्लास्टर करने के दूसरे दिन से 7 दिन तक लगातार गीला बना रहना चाहिए।

14. यदि कार्यस्थल पर एक से अधिक मेट नियोजित है तो कार्यस्थल पर नियोजित मेटों में से किसी एक मेट को यह जिम्मेदारी दी जायेगी जिसका निर्धारण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मेटों के मनोनयन के साथ–साथ की जावे। मनोनीत मेट ही सामग्री प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

15. मेट को एक अनुबन्ध पत्र देना होगा। यदि कार्य सही तरह से सम्पादित नहीं किया, मेट को दी गई सामग्री सुरक्षित नहीं रखी अथवा कार्य समाप्ति के बाद पंचायत में जमा नहीं कराई, तो मेट के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार मेट का नियोजन करते हुए कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करावें। मेट के नियोजन बाबत पूर्व में जारी समस्त आदेश विलोपित माने जावेंगे।

भवदीय

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।
2. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस

12/6

D:\Rishi\MATE JOBS and RESPONSIBILITIES REVISED 04-06-09.doc

परिशिष्ट-1

[redacted]निक कार्य मेट माप प्रपत्र

परिशिष्ट–1

कार्य का नाम ____ ग्राम ____ ग्राम पंचायत [redacted] पं0 समिति ____

मेट का नाम ____ कार्य का कोड ____ मस्टररोल न0 ____ पखवाडा ____

समूह सं0	समूह सख्या	आवंटित कार्य का विवरण	दैनिक कार्य की माप	1 / 16	2 / 17	3 / 18	4 / 19	5 / 20	6 / 21	7 / 22	8 / 23	9 / 24	10 / 25	11 / 26	12 / 27	13 / 28	14 / 29	15 / 30	31	मेट के अनुसार कुल टास्क	जेईएन के अनुसार कुल टास्क	अन्तर	प्रति मजदूर टास्क के अनुसार देय राशि (प्रतिदिन)	पखवाडे में किए गए कार्य की प्रति व्यक्ति टास्क व मजदूरी	
			कार्य का प्रकार																						
			कार्यरत श्रमिक																					कुल कार्य की मात्रा	
			लम्बाई																					कुल श्रमिक दिवस	
			चौडाई																					प्रति व्यक्ति टास्क (माप के अनुसार)	
			उंचाई																					जी.के. एन. के अनुसार प्रति व्यक्ति टास्क	
			मात्रा																					कार्य प्रतिशत	
समूह के सर्वमान्य व्यक्ति के दैनिक हस्ताक्षर / अंगूठा																								प्रतिदिन मजदूरी	
कार्यस्थल छोडने का समय																									
मेट के हस्ताक्षर																									
			कार्य का प्रकार																						
			कार्यरत श्रमिक																					कुल कार्य की मात्रा	
			लम्बाई																					कुल श्रमिक दिवस	
			चौडाई																					प्रति व्यक्ति टास्क (माप के अनुसार)	
			उंचाई																					जी.के. एन. के अनुसार प्रति व्यक्ति टास्क	
			मात्रा																					कार्य प्रतिशत	
समूह के सर्वमान्य व्यक्ति के दैनिक हस्ताक्षर / अंगूठा																								प्रतिदिन मजदूरी	
कार्यस्थल छोडने का समय																									
मेट के हस्ताक्षर																									
			कार्य का प्रकार																						
			कार्यरत श्रमिक																					कुल कार्य की मात्रा	
			लम्बाई																					कुल श्रमिक दिवस	
			चौडाई																					प्रति व्यक्ति टास्क (माप के अनुसार)	
			उंचाई																					जी.के. एन. के अनुसार प्रति व्यक्ति टास्क	
			मात्रा																					कार्य प्रतिशत	
समूह के सर्वमान्य व्यक्ति के दैनिक हस्ताक्षर / अंगूठा																								प्रतिदिन मजदूरी	
कार्यस्थल छोडने का समय																									
मेट के हस्ताक्षर																									
निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर																									

पखवाडे में मेट के द्वारा किया गया कुल माप घन मीटर / वर्ग मीटर ____

पखवाडे में जे0ई0एन0 / तक0स0 द्वारा किया गया कुल माप घन मीटर / वर्ग मीटर में ____

अन्तर ____

अन्तर का कारण (जेईएन द्वारा लिखा जाए) ____

क0 अ0/तक0स0 ____

परिशिष्ट 2

सामग्री स्टॉक प्रपत्र

कार्य का नाम		कार्यकारी एजेन्सी
गांव	पंचायत	पंचायत समिति
सामग्री का नाम :		इकाई : कट्टे / ट्रिप / घन फीट / संख्या

दिनांक	परिवहन विवरण		सामग्री प्रेषक का नाम		पाक्षिक के आरम्भ में शेष	प्राप्ति	उपयोग मे आई सामग्री	पाक्षिक के अंत में शेष	मेट के हस्ताक्षर	कारीगर/मजदूर के हस्ता0	तकनीकी अधिकारी द्वारा सत्यापन
	प्रकार	वाहन सं0	नाम	हस्ताक्षर							

परिशिष्ट-3

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम, राजस्थान

निरीक्षण / शिकायत व सुझाव पंजिका

कार्य का नाम : ....

ग्राम : .... ग्राम पंचायत : .... पंचायत समिति : ....

क्र. सं.	दिनांक	व्यक्ति का नाम (अधिकारी, कर्मचारी, निगरानी समिति,चुने हुए, जन प्रतिनिधि)	पद	निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियां व सुझाव	हस्ताक्षर	फोलोअप दिनांक	फोलोअप	मेट के हस्ताक्षर
1								
2								
3								
4								
5								

परिशिष्ट–4

प्राथमिक उपचार पेटिका (मेडिकल किट)

- मेट सुनिश्चित करेगा कि हर वक्त एक प्राथमिक उपचार पेटिका उपलब्ध रहे तकि वह आवश्यकतानुसार मजदूरों का प्राथमिक उपचार कर सके।
- मेट को मेडिकल किट में उपलब्ध सभी दवाईयों की जानकारी होनी चाहिये।
- चोट लगने की अवस्था में मेट को दवाईयों व पट्टी बांधने का ज्ञान चाहिये।
- दवाईयां अवधिपार (Expiry Dated) नहीं होनी चाहिये।
- मेट से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो गांव में कार्यरत ANM से सम्पर्क कर सुनिश्चित करे कि कार्यस्थल पर सप्ताह में महिला श्रमिकों की नियमित जांच हो व आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये।
- नजदीकी चिकित्सा केन्द्र तथा चिकित्सकों के दूरभाष नं. मेट के पास हों।

एन.आर.ई.जी.एस मेटिकल किट

क्र.सं.	नाम औषधि	बीमारी में उपयोगी
1.	टेब. पेरासीटामोल 500 एम.जी	बुखार, बदन दर्द
2.	टेब. सेट्रीजिन	सर्दी, जुकाम, खांसी
3.	टेब. क्लोरफिनिरामिन 400 एम.जी.	खांसी, जुकाम, एलर्जी
4.	टेब. मेटोक्लोप्रामाईड 10 एम.जी.	उल्टी
5.	टेब. लोप्रामाईड 2 एम.जी.	दस्त
6.	एस.एस.आई. ड्रॉप्स 20 %	आंखों का संक्रमण
7.	पोवीडीन आयोडिन ट्यूब	फोडा, फुंसी, घाव
8.	ओ.आर.एस. घोल पैकेट	दस्त, उल्टी
9.	पोवीडीन आयोडीन सोल्यूशन	फोडा, फुंसी, घाव
10.	कॉटन रोल व पट्टी	घाव धोने के लिए व पट्टी करने के लिए
11.	डेटोल व फिटकरी	घाव धोने के लिए

परिशिष्ट-5

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान

श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य की मात्रा की विवरणिका

क्र. सं.	कार्य का विवरण	एक मजदूर द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा
1	**तालाब खुदाई / गहराई का कार्य (तालाब / बन्ध / जोहड / नया खाला / नई नहर आदि वाटर रिटेनिंग संरचनाओं का निर्माण कार्य)**	(घन फीट में)
1.1	तालाब / बन्ध / जोहड / नया खाला / नई नहर आदि वाटर रिटेनिंग संरचनाओं के निर्माण कार्य के लिये– मिट्टी का कार्य (सूखी या गीली), 15 से.मी. परत में डालना, ढेलों को तोडना, घास–पात तथा कंकर बीनकर अलग करना तथा मिट्टी की दरेसी करना तथा दुरमुट से मिट्टी दबाना।	
.	**अ. साधारण मिट्टी में**	
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	46
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	32
	1.5 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	24
	1.5 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	20
	3 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	40
	3 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	29
	3 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	22
	3 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	18
	4.50 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	35
	4.50 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	26
	4.50 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	21
	4.50 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	18
	ब. कठोर मिट्टी में	
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	41
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	29
	1.5 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	22
	1.5 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	19
	3.0 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	36
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	27
	3.0 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	21
	3.0 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	18
	4.50 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	33
	4.50 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	25
	4.50 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	20
	4.50 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	17

	स. मुरम बोल्डर मिक्स मिट्टी में	
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	37
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	27
	1.5 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	22
	1.5 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	18
	3.0 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	33
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	25
	3.0 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	20
	3.0 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	17
	4.50 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	30
	4.50 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	23
	4.50 मीटर उठाव तथा 150 मीटर दूरी तक ले जाना	19
	4.50 मीटर उठाव तथा 200 मीटर दूरी तक ले जाना	16
2	**खाला / नहर के पटडे की मिट्टी मरम्मत का कार्य**	
2.1	मिट्टी का कार्य कटाई मे, 1.5 मीटर उठान व 50 मी. तक निष्पा तथा डाग वेल लगाना तथा निस्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी कर	
	अ) साधारण मिट्टी	100.0
	ब) सख्त मिट्टी	63
	स) कंकर मिट्टी	46
	द) मुलायम चट्टान	28
2.2	मिट्टी का कार्य भराई मे, खाला/नहर के किनारे खदान बनाकर ट्टी 1.5 मी. उठान व 50 मी. दूरी तक निष्पादन डले तोडना, तथा 25 सेमी प में बिछाना तथा दुरमुट से दबाना तथा समतल करना	
	अ) साधारण मिट्टी	86
	ब) सख्त मिट्टी	57
	स) कंकर मिट्टी	42
3.	**सडक निर्माण कार्य**	
3.1	मिट्टी का कार्य कटाई मे, 1.5 मीटर उठान व 50 मी. तक निष्पा तथा डाग वेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना तथा निस्पादित मिट्टी समतल तथा दरेसी करना।	
	अ) साधारण मिट्टी	100
	ब) सख्त मिट्टी	63
	स) कंकर मिट्टी	46
	द) मुलायम चट्टान	28
3.2	मिट्टी का कार्य भराई मे, सडक के किनारे खदान बनाकर मिट्टी .5 मी. उठान व 50 मी. दूरी तक निष्पादन डले तोडना, तथा 25 सेमी परतों मे छाना तथा दुरमुट से दबाना तथा समतल करना व केम्बर बनाना	
	अ) साधारण मिट्टी	86
	ब) सख्त मिट्टी	57
	स) कंकर मिट्टी	42

4	अन्य कार्य	
4.1	नीव, खाई, पर नाला में 1.5 मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई करना, तल को कूटना, पानी डालना, बगल को संवारना, खुदी मिट्टी को बाहर निकालना, नींव भरने के बाद खाली स्थानो को पुनः मिट्टी से भरना तथा बची मिट्टी को 50 मीटर की दूरी तक निस्तारण करना।	
	अ. साधारण मिट्टी में	
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	50
	3.00 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	43
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	33
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	31
	ब. सख्त, चिकनी, कंकर मिट्टी में	
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	40
	3.00 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	36
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	29
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	26
	स. विघटित चट्टान	
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	27
	3.00 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	25
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	21
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	20
	द. साधारण चट्टान	
	1.5 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	21
	3.00 मीटर उठाव तथा 50 मीटर दूरी तक ले जाना	19
	1.5 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	17
	3.0 मीटर उठाव तथा 100 मीटर दूरी तक ले जाना	17

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, मनरेगा)

क्रमांकः एफ.1(23) ग्रा.वि./नरेगा/मेट/2011–12 जयपुर, दिनांक - 30 MAY 2014

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एंव जिला कलेक्टर
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेटों से बेहतर कार्य लिए जाने बाबत।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15 मई, 2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के निरीक्षण के दौरान मनरेगा योजना के बेहतर कियान्वयन हेतु मेटों की भूमिका में सुधार की सख्त आवश्यकता बताई गई है, जिसके कम मे निम्न कार्यवाही प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. योजनान्तर्गत कार्यरत मेटों को अनुशासित रखने के लिए उनका सुपरविजन/नियंत्रण सीधे ही कनिष्ठ तकनीकी सहायकों/कनिष्ठ अभियंता को दिया जावे।
2. मेटों द्वारा ही 5–5 के ग्रुप में "स्थाई श्रमिक दल" बनाये जावे, ताकि यह दल अपेक्षित टॉस्क अर्जित कर पूर्ण मजदूरी प्राप्त हो।
3. मेटों को श्रमिकों से टॉस्क के अनुसार निर्धारित अपेक्षित कार्य लेने हेतु जिम्मेदार बनाया जावे ताकि श्रमिक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर अर्जित कर सकें।
4. अनियमितता में संलिप्त पाये जाने वाले मेटो को काली सूची में डाले (Black listing) तथा यह तथ्य जॉब कार्ड पर लाल रंग की गोल स्टाम्प लगाकर अंकित किया जावे ताकि सभी को स्पष्ट रूप से सूचित रहें।
5. ब्लैक लिस्टेड मेट को पुनः मेट के रुप में लगाये जाने पर गम्भीर मामला माना जावे, जिसके लिए सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं परियोजना अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अतः मेट का जॉब कार्ड जांच कर ही उसे रखें।
6. एक कार्य पर एक मेट को लगातार दो पखवाड़े से अधिक नहीं रखा जावेगा तत्पश्चात् इस कार्य पर अन्य मेट को कार्यकम अधिकारी द्वारा नियोजित किया जावे।
7. मेट पैनल में चिन्हित प्रत्येक मेट को जब तक समान अवधि का रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक अन्य किसी मेट को पुनः कार्यों पर नियोजित नहीं किया जावे। इस प्रकार यह सम्भव है कि एक मेट को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मेट के रुप में ना मिल सके।

आपसे अनुरोध है कि नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 के उपरोक्त प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराई जावे। इस हेतु ग्रा.पं. स्तर पर पर्याप्त संख्या में मेट का पूल बनाकर रखा जावे। **किसी कार्य पर मेट को लगातार दो पखवाड़े से अधिक रखे जाने पर इस अनियमितता के लिए कार्यकम अधिकारी, ईजीएस व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**

भवदीय,

(नवीन जैन)
आयुक्त, ईजीएस